प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 1927–5 जी. एस 1–76/7287 दिनांक 23 मार्च, 1976

विषयः— स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति में परिवर्तन

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 4900-5 जी.एस 1-75/25078, दिनांक 13 अगस्त, 1975 में जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाऊं और कहूं कि सरकार ने इस मामले पुनः विचार करके यह निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इन हिदायतों में ढील दे कर स्थानान्तरण किये जा सकते है । अप्रैल के महीने में नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी सरकारी कर्मचारी को स्थानान्तरित कर सकते हैं । केवल श्रेणी I के अधिकारी को स्थानान्तरित करने के लिए मुख्य मन्त्री महोदय की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी । 30 अप्रैल के बाद 13 अगस्त, 1975 की पिदायतें पुनः लागू हो जायेंगी ।

2. इस बात पर जोर दिया जाना आवश्यक है कि स्थानान्तरण बहुत कम और नितान्त आवश्यक हालात में ही किए जाने चाहियें तथा इनकी संख्या सीमित रखी जानी चाहिए ।

भवदीय

उप सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार, सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को कार्यवाही के लिए भेजी जाती ।